वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 260/2025 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक-22.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 22.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- जीयनपुरः गैर इरादत्तन हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 डण्डा बरामद।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 22.07.2025 को आवेदिका माया पत्नी अजय निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21/7/25 को समय करीब 7 बजे पुरानी रंजीश को लेकर गांव के 1.शैलेश पुत्र रामवृक्ष 2.देवआशीष पुत्र राजेश 3.आशीष पुत्र हरिश्चन्द्र 4.राजेश पुत्र रामवृक्ष 5.साधू उर्फ सैलेन्द्र पुत्र रामवृक्ष 6.चन्द्रेश पुत्र बलकरन 7. राजू पुत्र बलकरन 8.सुरेन्द्र पुत्र जयकरन 9.डब्लू पुत्र जयकरन 10. सुनैना पत्नी सुरेन्द्र 11 विजेन्द्र पुत्र चैतू निवासीगण हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हमारे देवर सन्दीप व देवरान मन्जू को लाठी डण्डा से मार पीट रहे थे देवर सन्दीप व देवरान मन्जू की चिल्लाने की आवाज पर मेरे पति अजय बचाने के लिए घटना स्थल पर पहुचे उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर मेरे पति को बुरी तरह से लाठी डण्डा से मारने पिटने लगे मेरे पति अजय व सन्दीप व मन्जू के चिल्लाने की आवाज पर मै मेरा वेटा समीर व अन्य लोग मौके पर पहुचे बचाने की कोशिश किये उपरोक्त मुज्जीमान देवर संदीप व मेरे पति अजय को मरा समझ कर छोडकर भाग गये मै आस पास के लोगो की मदद से P.H.C हरैया ले गयी जहा पर डा0 द्वारा हालत गम्भीर देखकर जिला अस्पताल आजमगढ रेफर कर दिया। आजमगढ सदर पहुचते ही मेरे पति अजय रास्ते मे ही दम तोड दिये तथा देवर सन्दीप व देवरान मन्जू की हालत गम्भीर बनी हुई है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 3(5)/115(2)/105 BNS बनाम 1.शैलेश पुत्र रामवृक्ष निवासीगण हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ आदि 11 नफर के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 22.07.2025 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रेश पुत्र बलकरन 2. सुरेन्द्र पुत्र जयकरन 3. सुनैना पत्नी सुरेन्द्र निवासीगण हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को मनिकाडीह चौराहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से समय 10:05 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया व अभियुक्तगण के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 02 अदद लकड़ी के डण्डे को बरामद किया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1.चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रेश पुन बलिकरण उम्र करीब 55 वर्ष निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. सुरेन्द्र पुत्र जयकरन उम्र करीब 45 वर्ष निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. सुनैना पत्नी सुरेन्द्र उम्र करीब 40 वर्ष निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1- घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 02 अदद लकड़ी के डण्डा

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 288/2025 धारा 3(5)/115(2)/105 BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अजय भादव मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 हरीश शुक्ला मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02.थाना निजामाबाद: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 17.07.25 को वादिनी की नाबालिग पुत्र उम्र लगभग 17 वर्ष को विपक्षी राजू पुत्र मुश्तफा निवासी करहां थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ बहला फुसला कर अगवा कल ले गया। घर में रखा जेवर व नगद रूपये भी अपने साथ ले गयी। कभी खोजबीन के बाद कुछ पता नहीं चल सका। अभियुक्त के यहाँ फोन पर पूछताछ किये तो वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलोच किये और वादिनी की बेटी को वापस सौंपने से मना कर दिये। वादिनी की तहरीर पर दिनांक 18.07.25 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 256/25 धारा 87,137(2),352 बीएनएस बनाम राजू उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 उमेश सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 22.07.25 को उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 राजू उर्फ सहनवाज पुत्र मुस्तफा निवासी करहा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गुलाब सेठ के भट्ठे के पास से समय करीब 8.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय /जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-राजू उर्फ सहनवाज पुत्र मुस्तफा निवासी करहा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 256/25 धारा 87,137(2),352 बीएनएस थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण–

1. उ0नि0 उमेश सिंह 2. का0 संदेश थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

03.थाना – निजामाबादः साइबर फ्राड के 70,500 रूपये आवेदक के खाते में कराया गया वापस ।

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 13.02.25 को आवेदक/पीड़ित मो0 इमरान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी मझभीटा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के बैंक आफ इण्डिया के खाते से बिना आवेदक की जानकारी के 70,500 रूपये कट गया। आवेदक द्वारा पैसे कटने की जानकारी हेने पर उसी दिन साईबर हेल्प लाइन नं0 1930 के माध्यम से शिकायत सं0 3310225xxxxxxx पंजीकृत करवाया गया था। जिसके बाद NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्राड के सभी 70,500 रूपये पैसै फ्राडस्टर के एक्सिस बैंक के देवास मध्यप्रदेश में स्थित एकाउन्ट में होल्ड करावा दिया गया।

➡ उक्त शिकायत पर थानाध्यक्ष हिरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए योगेन्द्र यादव द्वारा आवेदक के माध्यम से मा0 न्यायालय द्वारा फ्राड के पैसे वापस करने के संबन्ध में कोर्ट आर्ड जारी करवाया गया। तत्पश्चात संबन्धित बैंक मैनेजर/बैंक नोडल से संपर्क कर आवेदक के खाते में साइबर फ्राड के सभी 70,500 रूपये दिनांक 21.07.25 को वापस कराया गया। जिसपर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रगट किया गया।

साइबर टीम निजामाबाद -

1. उ0नि0 उमेश सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. क0ऑ0 योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. का0 सुधाकर सिंह थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. म0का0 रेनू देवी थाना निजामाबाद आजमगढ़

04. थाना- कप्तानगंजः चोरी की मोटरसाईकिल, अवैध तमंचे व कारतूस व चोरी के अन्य सामान के साथ एक शातिर अपराधी गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 22/07/2025 को थाना कप्तानगंज, आजमगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम विकास निषाद उर्फ विक्की पुत्र रूदल निषाद साकिन- अलौवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ हैं। गिरफ्तारी थाना कप्तानगंज क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान हुई। पुलिस की टीम जिसमें उ0नि0 ओमप्रकाश दुबे मय साथी उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह रात्रि गस्त के दौरान अमिलाई पुलिया कोईनहा रोड पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि सूचना मिली कि एक चोर चोरी की बाइक लेकर कोईनहा बाजार की तरफ से कप्तानगंज की ओर आ रहा है ये चोर कई जगह स्कूलो आदि मे चोरियाँ कर चुका है यदि आप लोग जल्दी करे तो ये चोर चोरी की बाइक के साथ पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर अमिलाई पुलिया कोइनहाँ रोड़ से 01 व्यक्ति विकास निषाद उर्फ विक्की पुत्र रूदल निषाद साकिन- अलौवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 18 वर्ष को समय 01.10 बजे रात्रि में कर एक अदद तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्प्लेण्डर के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै तथा मेरा साथी रवि निषाद पुत्र बेचू निषाद निवासी ग्राम विक्रमडीह अलौवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष लगभग सुपर स्पलैंडर का नम्बर प्लेट बदल कर चलते थे जिससे की चोरी की गयी सही मोटरसाईकिल का पता न चल सके तथा बता रहा है कि हम लोग मिलकर यह मोटरसाइकिल पिछले मई माह मे बेलसिया फुलपुर से एक शादी कार्यक्रम से चुराये थे तथा बताया कि हम दोनो लोग पिछले माह मे निजामाबाद क्षेत्र के फत्तनपुर बाजार से डीजे बजाने वाले कुछ एम्पलीफायर व अन्य सामान चोरी किये थे तथा प्राइमरी स्कुल बनवारी पट्टी अतरौलिया से मै अकेले ही खाने पीने का बर्तन आदि चुराया था। पकड़ें गये व्यक्ति के निशान देही पर चोरी की रखी हुयी दो डीजे एम्पलीफायर , एक अदद भगौना मय ढक्कन एल्युमीनियम , चार अदद थाली स्टील , दो अदद गिलास स्टील निकालकर बरामद कराया । बरामदगी के आधार पर थाना कप्तानगंज पर धारा 305 , 317(2) , 318(4) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-विकास निषाद उर्फ विक्की पुत्र रूदल निषाद साकिन- अलौवा थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 305/24 धारा 305(a), 317(2), 324(4), 331(4) बी0एन0एस0
2. मु0अ0स0 324/24 धारा 305(a), 317(2) बी0एन0एस0
3. मु0अ0स0 268/24 धारा 380, 411 भा0द0वि0
4. मु0अ0स0 332/24 धारा 303(2), 317(2)बी0एन0एस0
5. मु0अ0स0 280/24 धारा 317(2), 331(4), 305 बी0एन0एस0

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद मोटरसाईकिल (सुपर स्पलैडंर UP62 BE 1669)
2. दो अदद डीजे एम्पलीफायर
3. एक अदद भगोना, चार थाली स्टील, दो गिलास स्टील
4. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-212/25 व धारा 305 , 317(2) , 318(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 ओम प्रकाश दूबे थाना कप्तानगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 विवेक कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़
3. का0 उदयभान गुप्ता थाना कप्तानगंज आजमगढ़
4. का0 सद्दाम हुसैन थाना कप्तानगंज आजमगढ़
5. का0 अवधेश कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़
6. का0 अखिलेश कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़

थाना प्रभारी कक्ष
थाना - कप्तानगंज

05.थाना मुबारकपुरः हत्या के प्रयास में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2025 को वादी मुकदमा अब्दुलसमद पुत्र हाजी मु0 जमीर निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.07.2025 को क्रिकेट खेलने की बात के विवाद को लेकर वादी मुकदमा के लड़के अजीमुर्रहमान को विपक्षीगण 1) तारिकमहमूद (2) वामिक महमूद (3) अताउर्हमान पुत्र हाजी इरशाद अहमद (4) महमूदलहसन पुत्र हाजी इरशाद अहमद (5) ज्याउर्हमान पुत्र हाजी इरशाद अहमद निवासी इब्राहीमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डो एवं लात घूंसा एवं चाकू से मार कर घायल कर देना एवं जान से मारने की धमकी देने के समबन्ध मे दाखिल किये जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 315/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109 BNS पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 22.07.2025 को ग्राम इब्राहीमपुर मे क्रिकेट खेलने के बात को लेकर हुए मार पीट की घटना के वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम इब्राहीमपुर स्थित राधाकृष्ण मन्दिर के पास वाहन का इन्तेजार कर रहे अभियुक्तगण 1. महमुदूल हसन पुत्र स्व0 इरशाद अहमद, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 51 वर्ष 2. अताउर्रहमान पुत्र स्व0 इरशाद अहमद, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 35 वर्ष 3. वामिक महमूद पुत्र महमुदूल हसन, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछकर समय करीब 07.35 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. महमुदूल हसन पुत्र स्व0 इरशाद अहमद, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 51 वर्ष
2. अताउर्रहमान पुत्र स्व0 इरशाद अहमद, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 35 वर्ष
3. वामिक महमूद पुत्र महमुदूल हसन, निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 315/2025 धारा 3(5),115(2),352,351(3),109 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह हे0का0 जयराम तिवारी, का0 राहुल गौड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

06.थाना- फूलपुर: चोरी के आभूषण व नकदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 21.07.2025 को मुकदमा वादी श्री बबलू सोनकर पुत्र सुभग्गा सोनकर ग्राम पलिया अदाई थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 21.07.2025 की रात्रि करीब 02.00 बजे वादी तथा वादी का परिवार घर के बगल मे सोया थे कि बगल वाले कमरे से खटखट की आवाज आना आवाज सुनकर जग जाने तथा कमरे में जाकर देखने पर बक्से का ताला तोड़कर एक आदमी सामान चोरी कर रहा है जो धक्का देकर भाग गया जो बक्से में रखा मंगल सुत्र जिसमे काले रंग की मोती लगा है तथा 2200/- रुपया बक्से से चोरी कर ले गया के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला प्रा0पत्र के आधार पर पर मु0अ0सं0 365/2025 धारा 331(4)/305 BNS बनाम नाम शुभम पाण्डेय पुत्र शत्रुधन पाण्डेय निवासी ग्राम अमरेथु थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ पंजीकृत है। विवेचना उ0नि0 श्री रज्जन द्विवेदी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 21.07.2025 को उ0नि0 श्री रज्जन द्विवेदी मय हमराह के शिवम पाण्डेय पुत्र शत्रुधन पाण्डेय उर्फ जितेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ मूल पता बरतानी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को पलिया पलिया आईटीआई आवासा के बाउन्ड्री वाल के पास से अन्तर्गत धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस मे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 13.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1 शिवम पाण्डेय पुत्र शत्रुधन पाण्डेय उर्फ जितेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ मूल पता बरतानी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

चोरी का कुल 2200/- रुपया नगद व एक अदद मंगलसुत्र पीले धातु का जिसमे काले रंग का मोती लगा है

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0-364/2025 की धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस

आपराधिक इतिहास-

1. शिवम पाण्डेय पुत्र शत्रुधन पाण्डेय उर्फ जितेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम अमरेथू थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ मूल पता बरतानी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	364/25	305/331(4)/317(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़
2.	332/25	3/25 शस्त्र अधि0	फूलपुर	आजमगढ़
3.	426/24	60(1) आब0अधि0	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 श्री रज्जन द्विवेदी फूलपुर आजमगढ़

2.का0 अरविन्द यादव फूलपुर आजमगढ़

3-का0 अनुपम सिंह फूलपुर आजमगढ़

4- का0 इरशाद फूलपुर आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 22.07.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **21 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें अबैध नशीले पदार्थ रखने **के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को** जुर्म स्वीकृत के आधार पर 21 **दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 13.11.2020 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री जाफर खान थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दुर्गा जायसवाल पुत्र श्री चन्द्र जायसवाल निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से दिनांक-13.11.2020 को चेकिंग के दौरान कुल 3 किग्रा 600 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 200/2020 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 22.07.2025 को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त दुर्गा जायसवाल पुत्र श्री चन्द्र जायसवाल निवासी शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर 21 दिवस के साधारण कारावास से व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**